क्रमांकःराम/भू.अ./G-3/प-120/2017/ 9670 दिनांकः– 10/8/18

निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– ऑनलाईन जारी की जाने वाली डिजिटल हस्ताक्षरित नकलों की फीस के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **DILRMP** योजना के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी तथा नक्शों को डिजिटाइज्ड़ किया जाकर केन्द्रीयकृत वेब सर्वर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्रीकृत वेब सर्वर पर उपलब्ध कराये गये राजस्व रेकार्ड की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति जारी किये जाने हेतु भू–राजस्व (भू.अ.) नियमों में प्रावधान शामिल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त डिजिटल हस्ताक्षरित नकलें जारी किये जाने हेतु भू–राजस्व (भू.अ.) नियमों में निर्धारित फीस राजस्व मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद प्रतिलिपि शुल्क जमा कराई जानी है, जो निम्न प्रकार हैः–

क्र.स.	अभिलेख का नाम	परिमाण (Quantity)	फीस
1.	जमाबन्दी चौसाला पी–26	10 ख.नं. तक प्रत्येक अतिरिक्त 10 ख.नं. या उसके भाग के लिये	10.00 रू. 5.00 रू.
2.	नक्शा ट्रेस	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिये	20.00 रू.
3.	नामान्तरकरण पी– 21	प्रत्येक प्रारूप के लिये	20.00 रू.

उपरोक्त अभिलेखों के संबंध में फीस राजकोष में जमा कराने का प्रावधान करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के तहत नियम 28 के प्रावधानों की प्रति।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/ दिनांक

1. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर